

Seventeenth Loksabha

an>

**Title: Papers Laid On The Table of the House by
Ministers/Members**

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर – 1, श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी।

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते): महोदय, मैं संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक -महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2022 का संख्यांक 7) - राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की गतिविधियों की अनुपालन लेखापरीक्षा।
- (2) 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2022 का संख्यांक 8) - भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की अनुपालन लेखापरीक्षा।

[Placed in Library, See No. LT 7416/17/22]

... (व्यवधान)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी

कुमार चौबे): महोदय, मैं विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 52 की उप-धारा (4) के अंतर्गत विधिक मापविज्ञान (डिब्बाबंद वस्तुएं) (दूसरा संशोधन) नियम, 2022 जो 14 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 577(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library, See No. LT 7417/17/22]

... (व्यवधान)

*** रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव):**

महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
(एक) सा.का.नि. 204(अ) जो 15 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की दूसरी अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (दो) खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों के अलावा) छूट संशोधन नियम, 2022 जो 15 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 205(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) सा.का.नि. 273(अ) जो 5 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनार्थ 'श्रेणी क अन्वेषण अभिकरण' के अंतर्गत मैसर्स इंडियन माइन प्लानर्स एण्ड कंसल्टेंट्स को अधिसूचित किया गया है।

- (चार) सा.का.नि. 284(अ) जो 5 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनार्थ 'श्रेणी क अन्वेषण अभिकरण' के अंतर्गत मैसर्स यूनाइटेड एक्सप्लोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को अधिसूचित किया गया है।
- (पांच) सा.का.नि. 285(अ) जो 7 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनार्थ 'श्रेणी क अन्वेषण अभिकरण' के अंतर्गत मैसर्स जेमकोकाती एक्सप्लोरेशन प्राइवेट लिमिटेड को अधिसूचित किया गया है।
- (छह) सा.का.नि. 286(अ) जो 7 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनार्थ 'श्रेणी ख अन्वेषण अभिकरण' के अंतर्गत मैसर्स जियोटेक्निकल माइनिंग सोल्यूशन्स को अधिसूचित किया गया है।
- (सात) खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम, 2022 जो 11 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 294(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (आठ) का.आ. 2050(अ) जो 2 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनार्थ 'श्रेणी क अन्वेषण अभिकरण' के अंतर्गत

मैसर्स जियोएक्स्पोर प्राइवेट लिमिटेड और 'श्रेणी ख अन्वेषण अभिकरण' के अंतर्गत मैसर्स वी.एम. सलगावकर एण्ड ब्रदर प्राइवेट लिमिटेड तथा 'श्रेणी क अन्वेषण अभिकरण' के अंतर्गत मैसर्स जियोवाले सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को अधिसूचित किया गया है।

- (नौ) का.आ. 2307(अ) जो 18 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनार्थ 'श्रेणी ख अन्वेषण अभिकरण' के अंतर्गत मैसर्स एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड को अधिसूचित किया गया है।
- (दस) खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम, 2022 जो 3 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 415(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 7418/17/22]

- (2) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत भारतीय रेल (खुली लाइनें) सामान्य (दूसरा संशोधन) नियम, 2022 जो 27 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 603(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7419/17/22]

- (3) आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 4 की उप-धारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 507(अ) जो

4 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 21 रेल भर्ती बोर्डों के माध्यम से रेल भर्ती नियंत्रण बोर्ड द्वारा आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा से पहले या परीक्षा के दौरान परीक्षा दे रहे अभ्यर्थियों की पहचान स्थापित करने के लिए स्वैच्छिक आधार पर आधार सत्यापन सेवाओं को सुकर बनाने हेतु इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से अनुरोध किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7420/17/22]

... (व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI ANUPRIYA PATEL): Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the India Trade Promotion Organisation, New Delhi, for the year 2020- 2021, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the India Trade Promotion Organisation, New Delhi, for the year 2020-2021.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 7421/17/22]

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 55 of the Special Economic Zones Act, 2005:-

- I. The Special Economic Zones (Second Amendment) Rules, 2022 published in Notification No. G.S.R.519(E) in Gazette of India

dated 6th July, 2022, together with an explanatory note.

II. The Special Economic Zones (Third Amendment) Rules, 2022 published in Notification No. G.S.R.576(E) in Gazette of India dated 14th July, 2022, together with an explanatory note.

III. The Special Economic Zones (Amendment) Rules, 2022 published in Notification No. G.S.R.288(E) in Gazette of India dated 8th April, 2022, together with an explanatory note.

[Placed in Library, See No. LT 7422/17/22]

... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI SOM PRAKASH): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the Jammu and Kashmir Development Finance Corporation Limited, Jammu, for the year 2020-2021.

(ii) Annual Report of the Jammu and Kashmir Development Finance Corporation Limited, Jammu, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 7423/17/22]

... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI DEVUSINH CHAUHAN): Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the India Post Payments Bank, New Delhi, for the years 2016-2017 to 2018-2019, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the India Post Payments Bank, New Delhi, for the years 2016-2017 to 2018-2019.
- (2) Three statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 7424/17/22]

... (Interruptions)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री पंकज चौधरी**): महोदय, अपनी वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से, मैं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धरा 38 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ :-

अधिसूचना संख्या 21/2022-सी.ई. जो दिनांक 2 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 30 जून, 2022 की अधिसूचना संख्या 04/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

अधिसूचना संख्या 22/2022-सी.ई. जो दिनांक 2 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना संख्या 18/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि कच्चे तेल के उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में वृद्धि की जा सके और विमानन टर्बाइन ईंधन के निर्यात में छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 7424A/17/22]

... (व्यवधान)